न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

वईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 93/2021
दायर दिनांक :– 30.11.2021

अनवान

श्रीमति ईन्द्रा पत्नि रामप्रसाद गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर

वादी..........

बनाम

1. श्री देवालाल पिता काना गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
2. श्री उदा पिता दयाला गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
3. श्री गोपाल पिता दयाला गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
4. श्री ईसरा पिता गोकल गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
5. श्रीमति रतनी बेवा सोजी गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
6. श्री भूरिया पिता माधु गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
7. श्री भोजा पिता माधु गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
8. श्री शंकरलाल पिता मेवा गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
9. श्रीमति भोली बेवा मेवा गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
10. श्री कालू पिता सोजी गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
11. श्रीमति कजोडी पत्नि नाना गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
12. श्री प्रहलाद पिता नाना गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
13. सुश्री सुमन पुत्री राजु गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
14. श्रीमति कैलाशी पत्नि गणेश गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
15. श्री मुकेश पिता गणेश गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
16. श्रीमति मीरा पुत्री गणेश गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
17. श्रीमति धन्नी पत्नि रामलाल गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
18. श्री सोराज पिता रामलाल गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
19. श्रीमति गीता पुत्री रामलाल गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
20. श्रीमति शांति पुत्री रामलाल गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
21. श्री छीतर पिता सुखा गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
22. श्रीमति हरली पुत्री सुखा गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
23. श्रीमति नानी पुत्री सुखा गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
24. श्रीमति रूपा पुत्री सुखा गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
25. श्रीमति प्रेम पुत्री सुखा गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
26. श्रीमति धापु पुत्री सुखा गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
27. श्रीमति छोटी पुत्री सुखा गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
28. तहसीलदार, जहाजपुर तह. जहाजपुर
29. श्रीमति मीना पत्नि राजु गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर

प्रतिवादीगण..............

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner

श्री अंजनी कुमार शर्मा, एडवोकेट वादी

:: **निर्णय** :: दिनांक 02.03.2022

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम राममोहनपुरा प. ह. गांगीथला तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 382 कुल किता 1 रकबा 1.14 बीघा भूमि का 53/56 हिस्सा वादिया ने दिनांक 26.05.2008 को तत्कालीन खातेदार देवा पिता काना, नाना पिता काना, उदा पिता दयाला, गोपाल पिता दयाला, गणेश पिता गोकल, ईसरा पिता गोकल, रतनी बेवा सोजी, रामलाल पिता माधु, भूरिया पिता माधु, भेजा पिता माधु, सुखा पिता माधु, शंकर पिता मेवा, भोली बेवा मेवा, कालु पिता सोजी एवं सीताराम पिता सोजी गुर्जर नि. राममोहनपुरा से जरिये पंजीकृत विकय पत्र कय की थी कय करने की दिनांक से ही उक्त भुमि पर वादीया का निरन्तर निर्बाध रूप से शांतिपुर्वक कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। उपरोक्त भूमि कय करने के पश्चात वादिया ने उक्त पंजीकृत विकय पत्र की फोटो प्रति वास्ते भूमि के खाते में वादिया का नाम दर्ज कराने पटवारी को दी किन्तु राजस्व अधिकारियों ने भूमि के खाते में पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर वादिया का नाम दर्ज नही किया। इसी दौरान विकेतागण नाना, गणेश, रामलाल, सुखा, सीताराम की मृत्यु हो गई। प्रतिवादी सं. 11, 12, 13 मृतक खातेदार नाना के विधिक वारिसान हैं प्रतिवादी सं. 14, 15, 16 मृतक खातेदार गणेश के विधिक वारिसान हैं प्रतिवादी सं. 17 से 20 मृतक खातेदार रामलाल के विधिक वारिस हैं प्रतिवादी सं. 21 से 27 मृतक खातेदार सुखा के विधिक वारिस हैं। वादिया ने करीब एक माह पुर्व पटवारी से उक्त भूमि नकल प्राप्त करने के लिए सम्पर्क किया तो वादिया को जानकारी हुई कि वादिया द्वारा कयशुदा उक्त भुमि वर्तमान में भी विकेतागण के नाम ही दर्ज हैं तब वादिया ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वे राजीखुशी वादिया के साथ पटवारी के पास जाकर भूमि के खातो में वादिया का नाम दर्ज करवा देवे किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा मना करने के कारण वादिया को यह वाद पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यता हुई हैं प्रतिवादीगण द्वारा वादिया को भूमि नाम कराने से ईन्कार करने के कारण वाद हेतूक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। वादपत्र की चरण सं. 1 में वर्णित आराजी के खातो में पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 26.5.2008 के अनुसार विकेतागण के स्थान पर वादिया का नाम बतौर खातेदार दर्ज कर वादिया को उक्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण पारित कराये जाने की मांग की।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण उपस्थित हो ईकबाले जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा ईकबाले जवाबदावा में बताया की वाद पत्र की चरण सं. 1 से 8 सही व सत्य होने से स्वीकार हैं तथा प्रतिवादीगण व उनके पुर्वजो द्वारा उक्त भुमि वादीया को जरिये विकय पत्र विकय कर दी गई थी। उक्त भुमि को विकय पत्र के आधार पर वादीया के नाम किये जाने में कोई आपत्ति नही बताई है। संभी प्रतिवादीगण सहमत है। जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

वादी ने वाद पत्र की ताईद में जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 की प्रति प्रदर्श 1, विकय पत्र प्रदर्श 2, विकय पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श 2 ए है। एवं ब्यान गवाह में स्वंय वादी ईन्द्रा देवी पी. डब्ल्यु 1 के ब्यान शपथ पत्र पर प्रस्तुत किये गये। जिसे शामिल फाईल किया गया।

वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने बताया की वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादीगण द्वारा जरिये विकय पत्र के वादिया को विकय कर दी गई थी। तथा प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित हो उक्त भूमि विकय पत्र अनुसार वादिया के

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

नाम किये जाने हेतु जरिये इकबाले जवाबदावा सहमति प्रकट की गई है। इसलिये विक्रय पत्र अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

मैने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विक्रय पत्र प्रदर्श 2 के अनुसार आराजी खसरा न. 382 रकबा 1.14 बीघा वर्तमान में 0.2752 है. में से 53/56 हिस्सा प्रतिवादीगण द्वारा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 26.05.2008 को वादिया को विक्रय कर दी गई थी। प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित हो उक्त भूमि विक्रय पत्र अनुसार वादिया के नाम किये जाने हेतु जरिये इकबाले जवाबदावा सहमति प्रकट की गई है। उपरोक्त विवेचन अनुसार उक्त भूमि विक्रय पत्र अनुसार वादिया के नाम किया जाना उचित हैं जिससे न्यायालय वादिया के वाद पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः वादी का वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि ग्राम राममोहनपुरा प. ह. गांगीथला तहसील जहाजपुर की आ.न. 382 रकबा 1.14 बीघा वर्तमान में 0.2752 है. में विक्रय पत्र दिनांक 26.05.2008 के अनुसार 53/56 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी सं. 1 से 27 व 29 के स्थान पर वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री मुर्तिब की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

डिग्री व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस

अनवान

श्रीमति ईन्द्रा पत्नि रामप्रसाद गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर

वादी..........

बनाम

1. श्री देवालाल पिता काना गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
2. श्री उदा पिता दयाला गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
3. श्री गोपाल पिता दयाला गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
4. श्री ईसरा पिता गोकल गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
5. श्रीमति रतनी बेवा सोजी गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
6. श्री भूरिया पिता माधु गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
7. श्री भोजा पिता माधु गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
8. श्री शंकरलाल पिता मेवा गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
9. श्रीमति भोली बेवा मेवा गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
10. श्री कालू पिता सोजी गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
11. श्रीमति कजोडी पत्नि नाना गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
12. श्री प्रहलाद पिता नाना गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
13. सुश्री सुमन पुत्री राजु गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
14. श्रीमति कैलाशी पत्नि गणेश गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
15. श्री मुकेश पिता गणेश गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
16. श्रीमति मीरा पुत्री गणेश गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
17. श्रीमति धन्नी पत्नि रामलाल गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
18. श्री सोराज पिता रामलाल गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
19. श्रीमति गीता पुत्री रामलाल गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
20. श्रीमति शांति पुत्री रामलाल गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
21. श्री छीतर पिता सुखा गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
22. श्रीमति हरली पुत्री सुखा गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
23. श्रीमति नानी पुत्री सुखा गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
24. श्रीमति रूपा पुत्री सुखा गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
25. श्रीमति प्रेम पुत्री सुखा गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
26. श्रीमति धापु पुत्री सुखा गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
27. श्रीमति छोटी पुत्री सुखा गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर
28. तहसीलदार, जहाजपुर तह. जहाजपुर
29. श्रीमति मीना पत्नि राजु गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर

प्रतिवादीगण..............

दावा बाबत – **88, 89 आर. टी. ए.**
प्रकरण संख्या :– 93 /2021

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री अंजनी कुमार शर्मा का मिनजानिब मुदई व श्री .. का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः ग्राम राममोहनपुरा प. ह. गांगीथला तहसील जहाजपुर की आ.न. 382 रकबा 1.14 बीघा वर्तमान में 0.2752 है. में विकय पत्र दिनांक 26.05.2008 के अनुसार 53/56 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी सं. 1 से 27 व 29 के स्थान पर वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02.03.2022

मुहर

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner